

प्रेषक,

प्रशांत कुमार

सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/रॉची/हजारीबाग

संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखण्ड रॉची।

रॉची, दिनांक **25/03/2021**

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 49S27010300106 अन्तर्गत 11 कार्यालयों को विभिन्न मदों में कुल रु 34.66 लाख (चौंतीस लाख छियासठ हजार मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03— मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001—निदेशन तथा प्रशासन/ 06—छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना	34.660

कुल आवंटित राशि -

रुपये चौंतीस लाख छियासठ हजार मात्र

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 के द्वितीय अनुपूरक से प्रत्यार्पण के फलस्वरूप संशोधित बजट उपबंध राशि ₹ 8039.32 लाख (अस्सी करोड़ उन्नालीस लाख बत्तीस हजार मात्र) के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1681(वि०) दि०16.06.15 के आलोक में होगा।
4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन हैं और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
5. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
6. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
7. सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त रथानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित विभाग का पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
8. कोषागार से आवंटित राशि की निकासी योजना सह वित विभाग (वित्त प्रभाग)झारखण्ड सरकार के द्वारा समय- समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जायेगा।

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि०)

(अशोक कुमार दास)

संयुक्त सचिव(अभि०)

9. वित्त विभाग के पत्रांक—29/बी०टी०ई०—18/2014.—15/300 दिनांक—30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा।
11. यदि आवंटित राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करें। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरुद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यापर्ण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यापर्ण **Online** किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यापर्ण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कापी में **Acces No** एवं **Revoke No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. विहार वित्तीय नियमावली (भाग—1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत कर्मियों को सेवानिवृति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (**chronological order**) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2021 से पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु० :- यथोक्त



(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 345

रॉची, दिनांक :- 25/03/2021

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डॉरंडा/मेदिनीनगर/हजारीबाग/चाईबासा/गढ़वा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :- यथोक्त




(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 345

रॉची, दिनांक :- 25/03/2021

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पांच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, प्रमंडल-3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :- यथोक्त



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)



(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव(अभि)



(प्रशांत कुमार)
सचिव

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक
लघु शीर्ष-001-निवेशन तथा प्रशासन /उप शीर्ष-06-छोटानगपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना

पत्रांक 345 दिनांक १५/०३/२०२१ का अनुलग्नक

परिविहार I

क्र०	वित्तीय वर्ष 2020-2021	विस्तृत शीर्ष-01-देश एवं भर्ते विभाग व्यय	शीर्ष-02- विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	शीर्ष-04- मोटरसाइकिल मार्गमानि	विस्तृत शीर्ष-05- मोटरसाइकिल मार्गमानि	विस्तृत शीर्ष-06- मोटरसाइकिल मार्गमानि	विस्तृत शीर्ष-07- शीर्ष-08- प्राप्ति-प्राप्ति	कुल योग अनियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पुर्व का आवंटन जलसंसाधन विभाग, मेदिनीनगर	109,000 0,000	0,000 0,000	0,800 0,000	1,200 0,000	0,000 0,000	0,300 0,000	0,350 0,100
2	पुर्व का आवंटन जलसंसाधन विभाग, हजारीबाग ओरंगाज़ा ओचल मेदिनीनगर	60,000 0,000	0,000 0,000	1,000 0,000	1,500 0,500	0,000 0,800	0,800 0,500	0,500 0,100
3	पुर्व का आवंटन जलसंसाधन विभाग, हजारीबाग ओरंगाज़ा ओचल मेदिनीनगर	106,000 0,000	0,000 0,000	0,200 0,000	0,850 0,000	0,000 0,450	0,450 0,350	0,075 0,000
4	पुर्व का आवंटन जलसंसाधन विभाग, प्रमङ्गल मेदिनीनगर	190,000 0,000	0,000 0,000	0,510 0,500	0,500 0,000	0,400 0,300	0,450 0,300	0,000 0,150
5	पुर्व का आवंटन हजारीबाग ओरंगाज़ा ओचल जलसंसाधन विभाग	190,000 0,000	0,000 0,000	0,510 0,500	0,500 0,000	0,400 0,300	0,450 0,300	0,000 0,100
6	पुर्व का आवंटन जलसंसाधन विभाग, जलपथ प्रमङ्गल, गढ़वा	210,000 0,000	0,000 0,000	1,200 0,600	0,650 0,000	0,300 0,000	0,150 0,000	0,250 0,000
7	पुर्व का आवंटन चाईवाला जलपथ प्रमङ्गल, गढ़वा	210,000 0,000	0,000 0,000	1,800 0,600	0,550 0,000	0,010 0,000	0,300 0,000	0,250 0,000
8	पुर्व का आवंटन चाईवाला, बरकी जलपथ प्रमङ्गल, बरकी	319,000 0,000	0,000 0,000	0,200 0,000	1,500 0,550	0,000 0,000	0,600 0,000	0,000 0,000
	अधिकारी अवास	344,350	0,000	0,200	0,550	0,000	0,600	1,000
								346,700

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अधिक)

२८८

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अधिक)

(प्रशासन अधिकारी)
सचिव

वित्तीय वर्ष 2020-2021		विस्तृत शीर्ष-01-देशन एवं नारे		विस्तृत शीर्ष-02-		विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक अय		विस्तृत शीर्ष-04-नाटसाड्या		विस्तृत शीर्ष-05-नाटसाड्या		राशि लाख रुपये में				
क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	वेतन	के जूर्दे का बलाया देशीय यात्रा	कार्यालय अवय	किरायादर् कर सानगी	दूसाइ चार्दी	विद्युत अय	नाटसाड्या ईच्छन एवं नामन्ति	नाटसाड्या ईच्छन एवं नामन्ति	विवेद प्रानर	कुल योग	अनियुक्ति				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9	जलपाथ प्रांडल, भेदनीनगर	पूर्व का आवटन 0.000	0.000	1.150	0.650	0.000	0.000	0.100	1.000	2.550	0.900	0.500	356.150			
10	जलपाथ प्रांडल, हजारीबाग	आवटन 0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.300	1.550	3.500			
11	सिंधार्प प्रांडल, झुंड का आवटन अविवेत आवटन अविवेत आवटन	पूर्व का आवटन 312,000 0.000 0.000 0.200 0.850 0.180 0.500 0.050 0.600 2,000 1,300 0.500 318.180	अविवेत आवटन 312,000 0.000 0.000 0.500 0.700 0.000 0.200 0.000 0.000 0.250 0.300 1.550 3.500	पूर्व का आवटन 369,600 0.000 0.000 0.500 0.550 0.000 0.250 0.650 0.000 0.000 0.800 372.350	अविवेत आवटन 369,600 0.000 0.000 0.500 0.750 0.000 0.250 0.650 0.000 0.000 0.900 372.650											
नोट: वित्त विभाग के पत्रांक 11/विवेद-14/2010-39/बजट दिन 04.02.13 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.03.2013 तक का बकाया शूच्य मानते हुए नये सिरे से विपत्रीकरण के आधार पर ही बुगातान अनुमान्य है।																

कुल अतिरिक्त आवटित राशि—

रुपये चौंटीस लाख छियासठ हजार मात्र

(राजेन्द्र प्रसाद)
जप सचिव (आमिन)

345/03/2021

(जितेंद्र कुमार दास)
संयुक्त सचिव(आमिन)

(जितेंद्र कुमार दास)
सचिव